

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री नीतीश कुमार पिता- बसंत प्रसाद साहू निवासी ग्राम: एदला, थाना: सिमरिया जिला : चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: चमातू, थाना: बालुमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड) थाना सं. 56 (रैयती भूमि) खाता सं. 206, 184, 209 एवं 72 के अधीन प्लॉट सं. 2493, 569, 574, 795, 2176, 900, 924, 539, 2177 एवं 1038, कुल रकबा - 02.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के रप्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा ग्राम: एदला, थाना: सिमरिया जिला : चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: चमातू, थाना: बालुमाथ, जिला : लातेहार (झारखण्ड) थाना सं: 56 (रैयती भूमि) खाता सं. 206, 184, 209 एवं 72 के अधीन प्लॉट सं. 2493, 569, 574, 795, 2176, 900, 924, 539, 2177 एवं 1038, कुल रकबा - 02.00 एकड़ भूमि के तहत श्री नीतीश कुमार पिता- बसंत प्रसाद साहू निवासी ग्राम: एदला, थाना: सिमरिया, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: चमातू, थाना: बालुमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है।

19/5  
2/5/22